फर्द अहकाम

बनाम

इरशाद — रामसहाय

नाम न्यायालय ACM-Ist जयपुर

केस संख्या Suit 45/2015

क्रम संख्या	दिनांक आक्षा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		आज दिनांक 6/11/15 को पत्रावली पेश हुई। अवकाश / आज्ञा ... पत्रावली पूर्वानुसार 15/12/15 को पेश हो।	
		आज दिनांक 15/12/15 को पत्रावली पेश हुई। पी. ... / अग्रिम राजकार्य पर / कंटीन्यू है। अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/1/16 को पेश हो।	
	19/01/16	पत्रावली पेश हुई। वादी-अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना-पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई व वाद विड्रो किये जाने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ। वादी की पहचान अधिवक्ता द्वारा की गई। वादी की ओर से आधार कार्ड, ड्राईविंग प्रमाण-पत्र की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की गयी। वादी द्वारा न्यायालय समक्ष निवेदन किया गया कि इन पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिये न्यायालय में विचाराधीन वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः विड्रो की अनुमति प्रदान की जावे। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व वादी के निवेदन पर वादी का वाद, न्यायालय से विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से दाखिल दफ्तर हो। विड्रो पर प्रतिवादी-अधिवक्ता ने भी आपत्ति की। निर्णय सुनाया गया।	

इरशाद चौधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.01.07 15:16:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner